

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बैज नं 29-30, पॉकेट-II,
सैकटर-4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त (कल्याण), हरियाणा राज्य में।
2. सभी श्रम कल्याण अधिकारी हरियाणा राज्य में।
3. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांक: HLWB/Scheme/2023/

दिनांक:

विषय :

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने की घोषणाओं उपरान्त बढ़ी हुई राशि को लागू करने वारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा विश्वकर्मा जयन्ती के शुभ अवसर पर “राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस” दौरान हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में साईकिल योजना में 3000 रु0 से बढ़ाकर 5000 रु0, सिलाई मशीन योजना में 3500 रु0 से बढ़ाकर 4500 रु0 तथा छात्रवृत्ति योजना में निम्न संशोधन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

पढ़ाई जारी रखने की कक्षा	छात्र व छात्राओं के लिए
9वीं से 10वीं	10,000 रुपये
आई0टी0आई0 डिप्लोमें के प्रत्येक वर्ष के लिए	10,000 रुपये
11वीं से 12वीं	12,000 रुपये
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रुपये
पोलीटैकनिक डिप्लोमें, सी0ए0, डी0 फार्मसी, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रुपये
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी0 फार्मसी के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रुपये
सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्रीयों / डिप्लोमें / बी0एस0सी0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रुपये
सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0ए0एम0 एस0 आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए	21,000 रुपये

यह संशोधन इस नोटिफिकेशन की तिथि से प्रभावित होंगे।

—५१—
उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: कल्याण आयुक्त, हरियाणा

पृष्ठ क्रमांक : ६५६७ - ७५

दिनांक : १२/१०/२०२३

उक्त की एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, माननीय श्रम मन्त्री, हरियाणा सरकार।
2. निजि सचिव, आदरणीय प्रधान सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार।
3. निजि सचिव, आदरणीय कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
4. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।
5. कंपनीयुटर प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को पोर्टल पर संशोधन बारे आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. सभी शाखाएं, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: कल्याण आयुक्त, हरियाणा